

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016

फा.सं. 11-2/2023-24/प्रवेश/छात्र प्रकोष्ठ/नीपा
12 मई, 2023

परिपत्र

विषय: दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के संबंध में शुल्क में छूट।


यह सत्र 2023-24 के लिए पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विवरणिका में वर्णित 'शुल्क संरचना' के संदर्भ में है।

पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार के मामले में आवेदन शुल्क 200/- रुपये (केवल दो सौ रुपये) के रूप में पढ़ा जा सकता है।

यदि इस परिपत्र के जारी होने से पहले आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा अधिक भुगतान किया जाता है, तो उन्हें अतिरिक्त राशि वापस कर दी जाएगी।

उपरोक्त निर्णय शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से लागू होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, डॉक्टरेट कार्यक्रम समिति
2. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव- माननीय कुलपति की जानकारी के लिए
3. कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ
4. प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
5. वित्त अधिकारी
6. सिस्टम एनालिस्ट - परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. छात्र प्रकोष्ठ (प्रभारी)
8. सूचना पटल